

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं० ५५१/२०१४ के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीबेत में मन्दीर कुमारी - सौर - नौरड मोटर मार्ग का निर्माण। (ल० ५.०६)

वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कुमारी सौर
तहसील भिकियासैव जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (—~~x~~— हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमे०: २७० हे०, वन पंचायत भूमि ०.३६० हे०) अर्थात् कुल ०.३६० हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सौर/कुमारी द्वारा दिनांक २८.३.१६ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सौर/कुमारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ह०/-
ग्राम सचिव
अल्मोड़ा

प्रधान
ग्राम पंचायत सौर
भिकियासैव (अल्मोड़ा)

ह०/-
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सौर
भिकियासैव (अल्मोड़ा)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 22/3/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सौर / कुम्हार

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दयान सिंह जेठी	
2.	दयान सिंह	
3.	अरीराम	22/2/2016
4.	शिवसिंह	शिवसिंह
5.	तिलराम	
6.	नान्दा	नान्दा
7.	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
8.	प्रताप सिंह जेठी	
9.	मिर्जाका सिंह	
10.	दयान सिंह	
11.	तुलसी देवी	तुलसी देवी
12.	मोहिनी देवी	मोहिनी देवी
13.	गोपाला सिंह	गोपाला सिंह
14.	शानन्या सिंह	शानन्या सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान

ह0/-
(एच0.एस0 नेगी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत-सौर
वि0ख0 भिक्यासैन (अल्मोडा)

ह0/-
सदस्य
क्षेत्र पंचायत विनोली
वि0ख0 भिक्यासैन (अल्मोडा)
ग्राम पंचायत मंडा / विमोली
वि0. भिक्यासैन (अल्मोडा)

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में मसौड़ा-कुमारती-सौर-नौरुड
मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिकियासैन

उपखण्ड भिकियासैन परिक्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त मोटर मार्ग के निर्माण
हेतु (—) हे० आरक्षित वन भूमि, ०.२७० हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.३६० हे०
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.६३० हे० वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भिकियासैन) की दिनांक 14-06-2016 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
श्री हेमन्त वर्मा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री हेमन्त वर्मा उपजिलाधिकारी भिकियासैन अध्यक्ष
- 2- श्री एच. के. खंडेल उप प्रभागीय वनाधिकारी राजिब सदस्य
- 3- श्री राजेश्वर सहायक समाज कल्याण अधिकारी भिकियासैन सदस्य / सचिव
- 4- श्री अविता देवी बी०डी०सी० क्षेत्र विनोली सहायक समाज कल्याण

सदस्य

पंचायत विनोली

भिकियासैन (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया
कि

जनपद अल्मोड़ा में मसौड़ा-कुमारती-सौर-नौरुड मोटर

मार्ग

परियोजना हेतु ०.६३० हे० वन

भूमि

लोक निर्माण विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों

के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त

भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग

हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, राजेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 200
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि व
अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गर
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ग्रिकियासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत
मधुवा-कुमावती सौर नौरड मौर मारी परियोजना के निर्माण हेतु 2.6.30
हे० वन भूमि 2.6.30 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Real
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ग्रिकियासैण
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Real
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- ग्रिकियासैण
जनपद अल्मोड़ा

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :

Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that..0.630....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction.....of Motor Road from Majhara kumodi - Sorai - Naurack.....
(Purpose for diversion of forest land) in..Almora.....district falls within jurisdiction of Majhara village(s) in..Bhikyasain Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..0.630...Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above


जिला प्रशासन कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा



D.M.

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

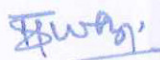
S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ०.१६३०. het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above



Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)


[Official Seal of the District Collector]
[Official Seal of the District Collector]

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Savin Bansal, I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....at time.....at Almora. in which application claiming rights of area measuring 0.630. hect. for the Construction of Motor Road from Majhwa-kumarti-Suari-Naurad..... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :



Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)



प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में मसैड़ा - कुमावती - सौर
नौरड मीटर मार्ग का निर्माण 1 किमी 0

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित मसैड़ा - कुमावती - सौर
नौरड मीटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.630 है।

वनभूमि का अधिशांसी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्त एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय व अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

प्रमाण


जिलाधिकारी

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में, मसैड़ा - कुमावती - सौर -
नौरड मीटर मार्ग का निर्माण । (किमी 0 5.0)

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित मसैड़ा - कुमावती - सौर
नौरड मीटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.630 है०

वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

प्रमाण


जिलाधिकारी

प्रमाण पत्र प्रपत्र 23.4

परियोजना का नाम :- मझोड़ा - कुमारती - सौर - नौरु - मोर मांगी का निर्माण । (लम्बाई 5.00 किमी)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद.....अल्मोड़ा.....के अन्तर्गत प्रस्तावित मझोड़ा - कुमारती - सौर - नौरु परियोजना के निर्माण हेतु ०.६३० है० वन भूमि लौ० नि० वि० (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रायोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईप लाईन बिछाने आदि प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अल्मोड़ा

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

अल्मोड़ा

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा,